

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालतन्यायालय सहायक कलेक्टर..... मुकामबेगू.....


सरकार जरिये तहसीलदार बेगू बनाम देऊबाई बेवा हीरा वगैरह निवासी मण्डावरी

करम मुकदमानं०73..... सन् ..2019....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
12/07/2019	पत्रावली लोक अदालत केम्प जयनगर में प्रस्तुत की गई। केम्प में उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। तहसीलदार बेगू द्वारा प्रस्तुत डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत 88 एवं 136 आर.टी.एक्ट में प्रकरण प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम मण्डावरी में खाता संख्या 199 संवत् 2072-2075 में दर्ज आराजी संख्या 1526 किता 1 रकबा 0.202 हे० भूमि श्री देऊबाई बेवा हीरा प्यारा पिता सेवा वगैरह जमाबंदील अनुसार दर्ज रेकार्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू- राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई। रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी संख्या 1526 किता-1 रकबा 0.202 हैक्टर भूमि सेवा नारायण पिता गोकल, बरदा खेमराज पिता कालू, डूंगा पिता नाथा मेघा हीरा उदा पिता भोला जाति धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। सेवा की विरासत होने से देउबाई बेवा हीरा,प्यारा पिता सेवा नन्दलाल रामेश्वर देवीलाल उदयलाल लाभचन्द्र सरजूबाई पिता बोटू नारायण की विरासत होने से भंवरलाल पिता नारायण बरदा की विरासत होने से कचरूलाल कृष्णचन्द पिता बरदा का नाम दर्ज हुआ है। मजमें आम में खातेदारो के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर आया की वाद वर्णित आराजी की वाद वर्णित आराजी 1526 किता- 1 रकबा 0.202 हैक्टर सामलाती आराजी है। जिसमें गोकल का 1/4 हिस्सा, कालू का 1/4 हिस्सा, नाना का 1/4 हिस्सा, भोला का 1/4 हिस्सा बनता है जो सही है। अतः मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमती से मौजा मण्डावरी की आराजी नं० 1526 किता- 1 रकबा 0.202 हैक्टर भूमि के हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।	

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम मण्डावरी की आराजी नं. 1526 किता- 1 रकबा 0.202 हैक्टर भूमि में श्री देउबाई बेवा हीरा का 1/24 हिस्सा, प्यारा पिता सेवा का 1/24 हिस्सा, नन्दलाल रामेश्वर देवीलाल उदयलाल लाभचन्द्र सरजुबाई पिता बोटू का 1/24 हिस्सा बराबर, भंवरलाल पिता नारायण का 1/8 हिस्सा, कचरूलाल कृष्णचन्द्र पिता बरदा का 1/8 हिस्सा बराबर, खेमराज पिता कालु का 1/8 हिस्सा, डूंगा पिता नाना का 1/4 हिस्सा, मेघा हीरा उदा पिता भोला का 1/4 हिस्सा बराबर जाति धाकड सा0देह खातेदार का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।


12/7/18

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 73/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़

.....वादी

बनाम

1. देउबाई बेवा हीरा धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
2. प्यारा पिता सेवा धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
3. नंदलाल पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
4. रामेश्वर पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
5. देवीलाल पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
6. उदयलाल पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
7. लाभचन्द्र पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
8. सरजूबाई पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
9. भंवरलाल पिता नारायण धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
10. कचरूलाल पिता बरदा धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
11. कृष्णचन्द्र पिता बरदा धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
12. खेमराज पिता कालू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
13. डूंगा पिता नाना धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
14. मेघा पिता भोला धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
15. हीरा पिता भोला धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
16. उदा पिता भोला धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू



.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगू

पैरोकार वादी

प्रतिवादीगण सं. 1 से 16

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल.आर.एम. पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 1221 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम मण्डावरी में खाता संख्या 199 संवत 2072-75 में दर्ज आराजी नं. 1526 किता-1 रकबा 0.202 हैक्टर भूमि श्री देउबाई बेवा हीरा प्यारा पिता सेवा वगैरह जमाबंदी अनुसार दर्जरिकोर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। प्रतिवादीगण में से उपस्थित पक्षकारो ने ग्राम मण्डावरी में वाद वर्णित आराजी नं0 1526 रकबार 0.202 हैक्टर उनकी सामलाती पैतृक भूमि होना बताया है एवं सेवा व नारायण पिता गोकल का हिस्सा 1/4, बरदा खेमराज पिता

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौडगढ़)


कालु का हिस्सा 1/4, डूंगा पिता नाना का हिस्सा 1/4, मेघा हीरा उदा पिता भोला का हिस्सा 1/4 होना बताते हुए सेवा नाराण व बरदा फोट होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। कोर्ट कैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारो के बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गए। सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत है।

रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट रिग्रकोर्ड में वाद वर्णित आराजी संख्या 1526 किता-1 रकबा 0.202 हैक्टर भूमि सेवा नारायण पिता गोकल, बरदा खेमराज पिता कालू, डूंगा पिता नाथा मेघा हीरा उदा पिता भोला जाति धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। सेवा की विरासत होने से देउबाई बेवा हीरा, प्यारा पिता सेवा नन्दलाल रामेश्वर देवीलाल उदयलाल लाभचन्द्र सरजूबाई पिता बोटू नारायण की विरासत होने से भंवरलाल पिता नारायण बरदा की विरासत होने से कचरूलाल कृष्णचन्द्र पिता बरदा का नाम दर्ज हुआ है। मजमें आम में खातेदारो के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर आया की वाद वर्णित आराजी की वाद वर्णित आराजी 15269 किता- 1 रकबा 0.202 हैक्टर सामलाती आराजी है। जिसमें गोकल का 1/4 हिस्सा, कालू का 1/4 हिस्सा, नाना का 1/4 हिस्सा, भोला का 1/4 हिस्सा बनता है जो सही है। अतः मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमती से मौजा मण्डावरी की आराजी नं0 1526 किता- 1 रकबा 0.202 हैक्टर भूमि के हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम मण्डावरी की आराजी नं. 1526 किता- 1 रकबा 0.202 हैक्टर भूमि में श्री देउबाई बेवा हीरा का 1/24 हिस्सा, प्यारा पिता सेवा का 1/24 हिस्सा, नन्दलाल रामेश्वर देवीलाल उदयलाल लाभचन्द्र सरजूबाई पिता बोटू का 1/24 हिस्सा बराबर, भंवरलाल पिता नारायण का 1/8 हिस्सा, कचरूलाल कृष्णचन्द्र पिता बरदा का 1/8 हिस्सा बराबर, खेमराज पिता कालु का 1/8 हिस्सा, डूंगा पिता नाना का 1/4 हिस्सा, मेघा हीरा उदा पिता भोला का 1/4 हिस्सा बराबर जाति धाकड सा0देह खातेदार का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।


(रमेश कुमार) (सहायक कोलेक्टर, तहसील) अधिकारी
बेगू जिला, जयनगर

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 73/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़

.....वादी

बनाम

1. देउबाई बेवा हीरा धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
2. प्यारा पिता सेवा धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
3. नंदलाल पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
4. रामेश्वर पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
5. देवीलाल पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
6. उदयलाल पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
7. लाभचन्द्र पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
8. सरजूबाई पिता बोतू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
9. भंवरलाल पिता नारायण धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
10. कचरूलाल पिता बरदा धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
11. कृष्णचन्द्र पिता बरदा धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
12. खेमराज पिता कालू धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
13. डूंगा पिता नाना धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
14. मेघा पिता भोला धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
15. हीरा पिता भोला धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू
16. उदा पिता भोला धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगू

.....प्रतिवादीगण




वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सह धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम मण्डावरी की आराजी नं. 1526 किता- 1 रकबा 0.202 हैक्टर भूमि में श्री देउबाई बेवा हीरा का 1/24 हिस्सा, प्यारा पिता सेवा का 1/24 हिस्सा, नन्दलाल रामेश्वर देवीलाल उदयलाल लाभचन्द्र सरजूबाई पिता बोतू का 1/24 हिस्सा बराबर, भंवरलाल पिता नारायण का 1/8 हिस्सा, कचरूलाल कृष्णचन्द्र पिता बरदा का 1/8 हिस्सा बराबर, खेमराज पिता कालू का 1/8 हिस्सा, डूंगा पिता नाना का 1/4 हिस्सा, मेघा हीरा उदा पिता भोला का 1/4 हिस्सा बराबर जाति धाकड सा0देह खातेदार का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।


(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
बेगू जिला चित्तौडगढ़
(उपखण्ड अधिकारी)

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।